XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक. R. 2228-I/15 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.7.15	मैंने प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी न्यायालय कलेक्टर सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमांक 13/अ–21/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30–11–13 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें आवेदक को भूमि विक्रय की अनुमति नहीं दिये जाने का आदेश पारित किया है। 2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि आवेदक को आराजी ग्राम सिरचौंपी तहसील बीना स्थित भूमि खसरा नंबर 7/1 रकवा 1.47 हेक्टेयर भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था। आवेदक के पास इसके अतिरिक्त ग्राम गोरा तह. ललितपुर उ.प्र. में अन्य भूमि है। जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है आवेदक को अपनी पत्नि के ईलाज हेतु भी पैसे की आवश्यकता हेतु आवेदन पत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजों सहित कलेक्टर सागर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे कलेक्टर सागर द्वारा विधिवत् पूरी प्रक्रिय उपरांत बिना किसी युक्तियुक्त आधार के निरस्त किया है। उनके द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा भूमि विक्रय की अनुमति हेतु जो आवेदन दिया गया था, वह आवेदक की पत्नि के उपचार हेतु राशि की व्यवस्था किए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था। तथा वह वर्तमान में ललितपुर उ.प्र. में निवासरत है इस कारण स्थिति ग्राम सिरचौपी भूमि खसरा नंबर 7/1 रकवा 1.47 हे0 के भूमि विक्रय की अनुमति चाही थी। ग्राम पंचायत द्वारा भी प्रस्ताव पारित कर विक्रय की अनुमति पर कोई आपत्ति न होने का उल्लेख किया है। उक्त आधार पर उनके द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के विक्रय की अनुमति दिया जाना न्यायसंगत बताते हुए निगरानी ग्राह्य किए जाने का अनुरोध किया गया। 3. आवेदक के तर्को पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा	

[कृ. प. उ.

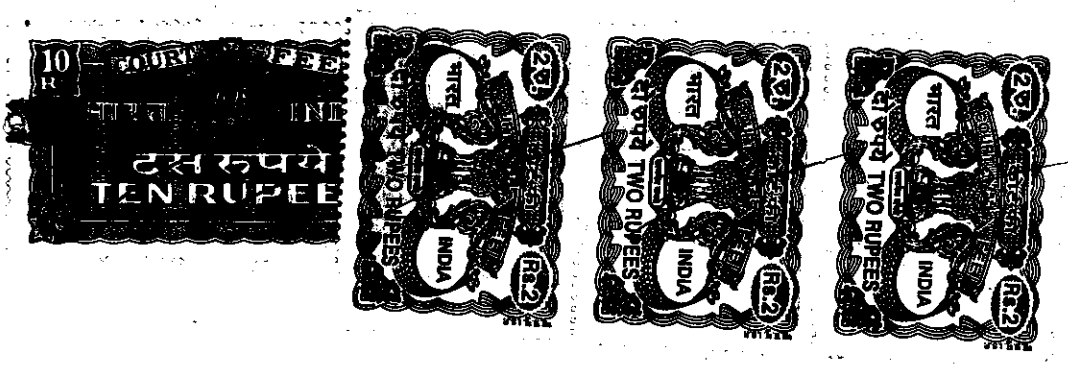

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

निगरानी 2228-I-15

हरिया पिता परसादी आदिवासी,
निवासी गोरा तहसील ललितपुर (उ०प्र०) .....आवेदक

//विरूद्ध//

मध्यप्रदेश शासन .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अुनसार

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर जिला सागर (म.प्र.) के प्र. क्र. 13/अ–21 वर्ष 2013 –14 में पारित आदेश दिनांक 30.11.13 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, ग्राम सिरचौंपी तह. बीना में स्थित भूमि खसरा नंबर 7/1 रकवा 1.47 हेक्टेयर भूमि जो निगरानीकर्ता को शासकीय पट्टे पर प्राप्त भूमि है जिसमें उसे भूमि स्वामी अधिकार भी प्रदत्त किए गए थे तथा राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि निगरानीकर्तागण के नाम भूमि स्वामी स्वामित्व में दर्ज है ।

2. यह कि निगरानीकर्ता द्वारा उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने के लिए काफी धन व्यय किया परंतु वह काबिल काश्त नहीं बन पाई जिस कारण से उसके द्वारा श्रीमान कलेक्टर सागर के समक्ष उक्त भूमि का विक्रय करने की अनुमति प्रदाय किये जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया साथ ही साथ यह भी निवेदन किया था कि आवेदकगणों के पास अन्य भूमि जो गोरा तहसील ललितपुर उ.प्र. में हैं इस कारण यह भूमि विक्रय कर अपना निवासरत् स्थान उ.प्र. में अन्य भूमि खरीदना चाहता है। साथ ही उसकी पत्नि क्षय रोग(टी.बी.) से ग्रस्त होने के कारण उसके इलाज हेतु पैसे की आवश्यकता होने के आधार पर उपरोक्त भूमि विक्रय की अनुमति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसमें इश्तहार तामिल कराये जाने के उपरांत कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुए आवेदक द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत कर विधिवत साक्ष्य उल्लेखित कराई थी संपूर्ण प्रक्रिया उपरांत भी प्रस्तुत आवेदन निरस्त किए जाने से यह निगरानी विधिवत रूप से प्रस्तुत की जा रही है।